इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष ६०/रुपये
(आईएसओ ९००१ : २००८ प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : V अंक सं. :१० मई, २०१५

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य ----------२
मुख्य घटनाएं ----------२
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां---------- ३
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------V
विनियामकों के कथन / नयी नियुक्तियां ----------९
बीमा / विदेशी मुद्रा---------- १०
उत्पाद एवं गठजोड ---------- ११
बासेल -III - पूंजी विनियमन ----------१२
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- ---------- ------१३
शब्दावली / संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------१४
संस्थान समाचार----------१५
बाज़ार की खबरें----------१V

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्त्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्त्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य - ७ अप्रैल, २०१५

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर ७.५% पर अपरिवर्तित।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के ४.०% पर अपरिवर्तित।
- एक-दिवसीय पुनर्खरीद के तहत चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर पर बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के ०.२५% की चलनिधि तथा नीलामियों के माध्यम से ७ दिवसीय और १४ दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दरों पर बैंकिंग प्रणाली की मांग एवं सावधि देयताओं के ०.७५% तक की चलनिधि प्रदान करना।
- चलनिधि की स्थिति को सहज बनाने हेतु दैनिक रूप से परिवर्तनीय दर वाली पुनर्खरीद एवं प्रति-पुनर्खरीद सुविधाएं जारी रखी जाएंगी।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रति-पुनर्खरीद दर ६.५% पर समायोजित कर दी गई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर तत्काल प्रभाव से ८.५% पर नियत की गई है।

मुख्य घटनाएं

शहरी सहकारी बैंक क्रेडिट कार्डों के साथ अगली पीढ़ी के बैंक बनने की ताक में

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दे कर भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारंपरिक बैंकों को नयी पीढ़ी वाले बैंक बनने का अवसर दे दिया है। मौद्रिक नीति की घोषणा में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों के कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से अब वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबन्धित (FSWM) कोर बैंकिंग सम

र्थित और न्यूनतम १०० करोड़ रुपये की निवल हैसियत वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ,को क्रे डिट कार्ड जारी करने की अनुमति होगी। इसीप्रकार, राज्य सहकारी बैंकों को उनके कारबार को

विस्तारित करने तथा अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से कुछेक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना शाखेतर एटीएम / चल (मोबाइल) एटीएम लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

संसद ने भुगतान और निपटान विधेयक पारित किया

संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है जिसमें पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ा कर तथा भारत की बैंकिंग भुगतान प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बना कर भुगतान एवं निपटान प्रणाली में दिवालियेपन की समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है। उक्त संशोधन में भुगतान प्रणाली के प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों से एकत्रित की गई निधियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसमें उक्त अधिनियम को व्यापार रिपोजिटरी और कानूनी संस्था के पहचानकर्ता जारीकर्ता पर भी लागू किए जाने की व्यवस्था है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नियों के क्रय-विक्रय मानदंडों को उदार बनाया

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रत्येक शेयर बाज़ार में विदेशी मुद्रा में १० मिलियन अमरीकी डालर या उसके समतुल्य रकम की अधिक्रीत (long bought) और उसके साथ ही अधिविक्रीत (short sold) -दोनों ही स्थितियां अपना सकते हैं। और अधिक उदारीकरण के एक उपाय के रूप में अब अमरीकी डालर - भारतीय रुपया युग्म में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए यह सीमा (अधिक्रीत और उसके साथ ही साथ अधिविक्रीत) प्रति शेयर बाज़ार १५ मिलियिन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का निर्णय ि लया गया है। इसके अलावा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को यूरो - भारतीय रुपया, जीबीपी - भारतीय रुपया और जापानी येन - भारतीय रुपया युग्मों में कुल एक साथ मिला कर प्रति शेयर बाज़ार ० मिलियन की समतुल्य रकम तक की अधिक्रीत (लांग) और उसके साथ ही अधिविक्रीत (शॉर्ट) स्थि तियां अपनाने की अनुमति होगी। इन सीमाओं पर शेयर बाज़ार द्वारा निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघनों, यदि कोई हो, को रिपोर्ट किया जाएगा। निगरानी रखने की सुविधा के लिए शेयर बाज़ार अमरीकी डालर को छोड़कर अन्य मुद्राओं में संविदाओं के लिए ऐसी स्थिर सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं कि ये सीमाएं ० मिलियन अमरीकी डालर के भीतर हों।

प्रवर्तक बदल जाने पर बैंकों को ऋण पुनर्व्यवस्था में अधिक लचीलापन मिला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जिनके स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है उन परियोजनाओं के मामले में

के वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि (DCCO) को दो वर्ष बढ़ाते हुए किसी पुनर्संरचित आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया है। मामलों को न्यायालय में ले जाए जाने के कारण रुक गई मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के मामले में वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि को और दो वर्ष (अधिक) का विस्तार मंजूर किया जा सकता है। प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे कारणों से विलंबित हो जाने पर इसके पूर्व वर्णित दो वर्ष की अवधि के बाद भी एक वर्ष का विस्तार मंजूर किया जाता है। वाणिज्यिक स्थावर संपदा के प्रति एक्सपोजर को छोड़कर गैर-मूलभूत सुविधा क्षेत्र को परियोजना ऋणों के मामले में, वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक रूप से मौजूदा प्रवर्तकों की अपर्याप्तता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन रुक जाने और वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से पहले स्वामित्व में परिवर्तन हो जाने पर अब मौजूदा विनियमनों के तहत अनुमत वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि के विस्तार के अलावा दो वर्ष के एक विस्तार की अनुमति है।

धोखाधड़ी वाले खातों से सम्बन्धित प्रावधानीकरण

अग्रिमों के सम्बन्ध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बन्धित मानदंडों के अनुसार उन खातों, जिनमें प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियों के कारण वसूली को संभाव्य खतरे विद्यमान हैं, आस्ति वर्गीकरण तथा उसके परिणामस्वरूप प्रावधानीकरण प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य पर निर्भर करता है। इसके पुनरीक्षण के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ियों के सभी मामलों के सम्बन्ध में एकसमान प्रावधानीकरण मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है। बैंक को प्राप्य सम्पूर्ण रकम (इसप्रकार की आस्तियों के समक्ष रखी गई प्रतिभूति की मात्रा चाहे जितनी भी क्यों न हो) अथवा जिसके लिए बैंक उत्तरदायी हो (जमा खातों वाले मामलों सहित) उस रकम के लिए जिसमें धोखाधड़ी का पता चला था, उस तिमाही से प्रारंभ होने वाली चार से अनधिक तिमाहियों की अवधि में प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि, जहां धोखाधड़ी की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने में निर्धारित अवधि से अधिक की देरी हुई हो, वहां संपूर्ण प्रावधानीकरण तुरंत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, जहां बैंक द्वारा किसी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग अथवा उसके समक्ष प्रावधानीकरण में देरी हुई है, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक भी पर्यवेक्षी कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपया ऋणों की चुकौती के किए निर्यात ऋण के नियम कठोर बनाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुराने रुपया ऋणों को चुकाने के लिए व्यापार वित्त का उपयोग किए जाने की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए दीर्घावधि निर्यात अग्रिम मंजूर करने के नियमों को कठोर बना दिया है। दीर्घावधि निर्यात अग्रिमों की सुविधा का उपयोग माल के निर्यात हेतु दीर्घावधि आपूर्ति संविदाएं निष्पा

दित करने की बजाय मूलत: उधारकर्ताओं के रुपया ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने हेतु किया जाता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दीर्घावधि निर्यात अग्रिमों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य` लिए किया

जाए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि जहां पात्र भारतीय कम्पनियां इन दिशानिर्देशों के तहत उन्हें उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का उपयोग करना जारी रख सकती हैं, वहीं जहां अनुमत हो, विदेशी मुद्रा उधारों / निर्यात अग्रिमों से रुपया ऋणों की कोई भी चुकौती / पुनर्वित्तीयन कुछेक शर्तों के अधीन होगी / होगा : भारतीय बैंकिंग प्रणाली से गारंटियों / आपाती साख पत्रों/ सहूलियत पत्र आदि के रूप में किसी सहायता के बिना विदेशी मुद्रा उधारों / निर्यात अग्रिमों के ऐसे ऋणदाताओं से प्राप्त किए जाने पर जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंग नहीं हैं (भारतीय बंकिंग प्रणाली में भारत में स्थित सभी बैंकों तथा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखा / सहायक कम्पनी / संयुक्त उद्यम का समावेश होगा), उसका उपयोग भारतीय बैंकिंग प्राणाली से लिये गए ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने / को चुकाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे ऋणदाताओं से जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंग हैं (जहां अनुमति हो) अथवा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सहायता से (जहां अनुमत हो) गारंटियों / आपाती साख पत्रों/ सहूलियत पत्रों आदि के रूप में प्राप्त किए जाने पर विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, १९९९ (१९९९ का ४२) के तहत जारी किए गए लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अलावा उक्त पुनर्वित्त को उपर्युक्त उधार राशियों / निर्यात अग्रिमों के किसी ऐसे उधारकर्ता को प्रदान किए जाने जो वित्तीय कठिनाई से गुजर रहा हो तथा ऐसी रियायतों से सम्बन्धित हो, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा, पर'पुनर्संरचना' माना जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्था के ग्राहकों की उधार सीमा बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्था को उनके ग्राहकों की उधार लेने की सीमा को ५०,००० रुपये बढ़ाकर १,००,००० रुपये करने की अनुमति दे दी है। प्रसार क्षेत्र को व्यापक बनाने के उद्देश्य से उसने यह निर्णय लिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्था द्वारा ग्रामीण परिवार के मामले में १,००,००० रुपये से अनधिक की वार्षिक आय और शहरी तथा कस्बाई परिवार के मामले में १,६०,००० रुपये से अनधिक वार्षिक आय वाले उधारकर्ता को संवितरित ऋण विशेषक (qualifying) आस्ति के रूप में निर्धारित किए जाने का पात्र होगा। ऋण संवितरित करते समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्था से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता था कि उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता ५०,००० रुपये से अधिक न हों। उपर्युक्त के आशिक आशोधन में उधारकर्ता की ऋणगस्तता की सीमा बढ़ाकर १,००,००० रुपये कर दी गई है। किसी उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता का निर्धारण करते समय शिक्षा और चिकित्सा व्ययों को छोड़ दिया जाएगा। पूर्ववर्ती अधिसूचना के अनुसार ऋण की रकम पहले चक्र में ३५,००० रुपये तथा उसके बाद वाले चक्रों में ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल ऋणग्रस्तता से सम्बन्धित सीमा में संशोधन के प्रकाश में ऋणों के संवितरण से सम्बन्धित सीमा को भी संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

अब से ऋण की रकम पहले चक्र में ६०,००० रुपये और उसके बाद वाले चक्रों में १,००,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बैंकिंग इकाई के पास कम से कम २० मिलियन अमरीकी डालर की पूंजी आवश्यक

६

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात में गांधीनगर के पास अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (IFSC) में बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए कम से कम २० मिलियन अमरीकी डालर की पूंजी अनिवार्य कर दी है। भारत में परिचालनरत भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों, दोनों को इस आवश्यकता का पालन करना होगा। विशेष वित्तीय अंचलों में इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक बैंक रुपये को छोड़कर केवल अन्य मुद्राओं में ही लेनदेन कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की बैंकिंग इकाइयों पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को लागू होने वाले सभी विवेकसंमत मानदंड लागू होंगे। विशेष रूप से, इन इकाइयों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण हेतु भारतीय बैंकों के लिए यथा-प्रयोज्य ९० दिनों के भुगतान अको रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के सम्बन्ध में निर्धारित चलनिधि और ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन नीतियों को अपनाना होगा तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतरालों पर निगरानी की शर्त पर बैंक के समग्र जोखिम प्रबन्धन एवं आस्ति-देयता प्रबन्धन ढांचे के भीतर कार्य करना होगा। प्रत्येक बैंक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में केवल एक इकाई स्थापित करने की अनुमति होगी। उक्त बैंकिंग इकाई के दायित्वों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त होगी।

बैंक अब मीयादी जमा धारकों को विभेदक ब्याज दर प्रदान कर सकते हैं

बैंकों को अब १ करोड़ रुपये कम की सावधि जमाराशियों पर जमाराशियों की अवधि के आधार पर और १ करोड़ तथा उससे अधिक सावधि जमाराशियों पर मात्रा एवं अवधि के आधार पर विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने की अनुमति है। बैंकों को कुछ शर्तों के अधीन इस बात के आधार पर विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि सावधि जमाराशियां समय-पूर्व आहरण सुविधा वाली या उसके बिना हैं। नये दिशानिर्देशों के अधीन १५ लाख रुपये और उससे कम की व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रूप से रखी गई) की सभी जमाराशियां आवश्यक रूप से समय-पूर्व आहण सुविधा वाली होनी चाहिए, अन्यों के मामले में बैंक समय-पूर्व आहरण के विकल्प के बिना भी जमाराशियां रखने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रकार की सावधि जमाराशियों की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में ग्राहक के अंतराक्षेपण वाले बिन्दु पर ग्राहकों को या तो समय-पूर्व आहरण या फिर उस सुविधा के बिना सावधि जमाराशियां रखने के विकल्प का चयन करने का अवसर दिया जाता है। बैंकों को जमाराशियों पर देय ब्याज की सूची को भी अग्रिम रूप से प्रकट कर देना चाहिए। बैंकों को विभेदक ब्याज दरों वाली जमाराशियों सहित जमाराशियों पर ब्याज के सम्बन्ध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीति रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

प्रदान की जाने वाली ब्याज दरें यथोचित, स्थिर, पारदर्शी और जब कभी आवश्यकता हो, पर्यवक्षी पुनरीक्षण/ अनुवीक्षण के लिए उपलब्ध हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए दिशानिर्देश जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि उधार लेने वाली कम्पनी और उसके प्रवर्तक / पूर्णकालिक निदेशक की ओर से सम्बन्धित समय पर की गई इरादतन चूक के साक्ष्य की जांच एक कार्यपालक निदेशक की

V

अध्यक्षता और महा प्रबन्धक / उप महा प्रबन्धक श्रेणी के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समावेश वाली समिति द्वारा की जानी चाहिए। उक्त समिति यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इरादतन चूक की घटना हुई है तो वह सम्बन्धित उधारकर्ता और प्रवर्तक / पूर्णकालिक निदेशक को कारण बताओं नोटिस जारी करेगी और उनसे स्पष्टीकरणों की मांग करेगी तथा उनके स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद इरादतन चूक के तथ्य और उसके कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश जारी करेगी। उक्त समिति को ऐसा लगने पर कि इस प्रकार का अवसर आवश्यक है, तो उधारकर्ता और प्रवर्तक / पूर्णकालिक निदेशक को वैयकतिक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इरादतन चूककर्ताओं की घोषण के अन्य सभी नियम और अंतराक्षेपण वही बने रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि किसी गैर-पूर्णकालिक निदेशक को जब तक कि यह निर्णायक रूप से न सिद्ध हो जाए कि वह बोर्ड या उसकी (बोर्ड की) समिति के कार्यवृत्त में रिकार्ड की गई किसी कार्यवाही के आधार पर इरादतन चूक किए जाने के तथ्य से अवगत था और कार्यवृत्त में अपनी आपत्ति न रिकार्ड करवाई हो अथवा उक्त चूक उसकी सम्मति या मिलीभगत से की गई थी, चूककर्ता नहीं माना जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

मंदी के कारण ९.७०% की खाद्येतर ऋण वृद्धि एक दशक में न्यूनतम बढ़ी

बैंकों का खाद्येतर ऋण वित्त वर्ष २०१४ - १० में एक दशक में न्यूनतम गति से बढ़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी ने कम्पनियों से ऋण की नयी मांग को दबा दिया और बॉण्ड प्र तिफलों में तीव्र गिरावट ने कम्पनियों को बॉण्ड बाज़ार का आश्रय लेने के लिए विवश कर दिया। २० मार्च, २०१० के दिन खाद्येतर ऋण ६४.७० लाख करोड़ रुपये की तुलना में ९.७०% बढ़ा। विनिर्माण कम्पनियों की घटाना आरंभ किए जाने के समय से न्यूनतम है। परियोजना ऋण की स्वीकृतियों में बहुत कम वृद्धि होने तथा कई एक बैंकों के मामले में स्रोत सूख जाने के परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि में एकमात्र तेजी खुदरा खण्ड से आई।

परियोजना निर्यात के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेता के ऋण से सम्बन्धित उच्चतम सीमा समाप्त की

परियोजना निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेता का ऋण प्रदान किए जाने के बारे में बैंकों की सीमा को समाप्त कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी क्रेताओं को आस्थगित भुगतान की शर्तों पर माल निर्यात करने तथा भारत से टर्न की परियोजनाओं के निर्यात हेतु प्रदान किए जाने वाले क्रेता के ऋण की २० मिलियन अमरीकी डालर वाली पूर्ववर्ती सीमा को वापस ले लिया है। उक्त कदम माल और सेवाओं के निर्यात हेतु कार्यविधियों को और अधिक उदारीकृत करने के लिए उठाया गया है। परियोजना और सेवा के निर्यात से सम्बन्धित अनुदेश ज्ञापन तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

Λ

जन-धन खातों को परिचालनात्मक बनाने हेतु बैंकों ने कारबार संपर्कियों का सहारा लिया

फरवरी, २०१५ तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत लगभग १३.६८ करोड़ खाते खले गए थे। हालांकि, इनमें से लगभग ८.६० करोड़ खातो में शून्य शेष राशि है तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) अब उन्हें पि रचालनात्मक बनाने की दिशा में कार्यरत है। भारतीय बैंक संघ ने सुझाव दिया है कि इन खातों को पि रचालनात्मक बनाने और इन्हे व्यवहार्य बनाने में सहायता करने के लिए बैंकिंग संपर्कियों (BCs) को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। विशेष रूप से देश के बैंकिंग सुविधा रहित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में २.५ लाख कारबार संपर्की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। भारतीय बैंक संघ, बैंकों, नाबार्ड और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस ने कारबार संपर्कियों को सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन आदि जैसे बैंकिंग उत्पादो और सेवाओं से अवगत कराने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, ता कि वे लक्ष्यांकित समूह को उपलब्ध कराए जा सकें। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस द्वारा तैयार की जाएगी और उसमें प्रधान मंत्री जन-धन योजना शामिल होगी। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस सभी राज्यों की राजधानियों में एक द्विदिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने हेतु भी तैयार है। कारबार संपर्कि यों को इस प्रशिक्षण जिसमें उन्हें प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों की मूलभूत जानकारी से परिचित कराया जाएगा, को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। कारबार संपर्की यद्यपि बिक्री केन्द्र (PoS) उपकरणों, सूक्ष्म एटीएमों और जीवंसांख्यिकीय (biometric) उपकरणों के संचालन से भलीभांति अवगत हैं, किन्तु मूलभूत बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की जानकारी न रखने वाले दिखाई देते हैं। इसलिए, उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिए जाने की आश्यकता है।

सहकारी बैंक में खाता खोलने के लिए एकल स्वामी वाली कम्पनियों के लिए सरल अपने ग्राहक को जानिए मानदंड

अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों को शिथिल करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल स्वामित्व वाली फर्मों को शहरी, राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में, उनके लिए दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव न होने पर उनके व्यवसाय का एकल प्रमाण (इसके पूर्व यथा-अपेक्षित दो दस्तावेज़ों की बजाय) प्रस्तुत करके खाते खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, बैंकों को संपर्क स्थल के सत्यापन, इस

प्रकार की फर्म के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए यथा -अपेक्षित सूचना एकत्रित, पुष्ट, स्पष्ट कर लेने और अपने आप को इस बात के प्रति संतुष्ट कर लेने कि स्वत्वाधिकारी फर्म के पते से कारोबारी गतिविधि का सत्यापन कर लिया गया है , का कार्य करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार स्थिरीकरण योजना से सम्बन्धित उच्चतम सीमा नियत की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार स्थिरीकरण योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) के प्रावधानों के अनुसार बाज़ार स्थिरीकरण योजना के तहत वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए बकाया

शेष की ५०,००० करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी है। इस उच्चतम सीमा का पुनरीक्षण तब किया जाएगा जब बकाया शेष ३५, ००० करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीमा तक पहुंच जाए । बाज़ार स्थिरीकरण योजना का वर्तमान बकाया शेष शून्य है।

विनियामकों के कथन

मुद्राओं का व्यापार (क्रय-विक्रय) करने हेतु अधिक विकल्पों की जरूरत

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने मुद्राओं का क्रय-विक्रय (व्यापार) करने हेतु अधिक विकल्प लिखत और अन्य मुद्रा ऋण का रुपया ऋण में अधिक परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया है। उन्होंने मत व्यक्त किया है कि "समग्र ऋणग्रस्तता की स्थिति को विवेकपूर्ण विधि से नियंत्रित किए जाने के बावजूद विदेशी मुद्रा में ऋणों के स्थान पर रुपया ऋणों को अपनाए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। हम इस इस मामले को अंशांकित रीति से और आगे बढ़ाना चाहते हैं।"

विभेदक बैंकिंग वित्तीय समावेशन की सफलता की कुंजी है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने तमिलनाडु में सस्त्रा विश्वविद्यालय कैम्पस में १०वां श्री नारायण स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में ऐसे विविधतापूर्ण अवसर मौजूद हैं जो भारत में महत्वपूर्ण स्थूल-आर्थिक वृद्धि की संभाव्यता का संकेत देते हैं तथा विभेदीकृत लाइसेंसिंग इन अवसरों की संभाव्यता को अनावृत करने में समर्थ बना सकती है, क्योंकि यह विशेषज्ञता को सुगम बना कर मुख्य बैंकिंग को प्रोत्साहित करती है, जिससे संसाधनों के संभाव्य गैर-इष्टतम उपयोग में कमी आती है। जब कोई बैंक बहुविध कार्य निष्पादित करता है उस समय विभेदक लाइसेंसों के जारी किए जाने पर हितों के टकराव जैसे मुद्दे नहीं उठेंग। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सक्षमता को बेहतर रीति से बढ़ाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप घटी मध्यस्थीकरण लागत के रूप में बढ़ी उत्पादकता, बेहतर मूल्य अन्वेषण और उन्नत आबंटक दक्षता प्राप्त की जा सकती है।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री जी. श्रीराम	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, धनलक्ष्मी बैंक

बीमा

१०

वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने १ अप्रैल, २०१५ से स्वाधिकृत वाहन के प्रकार के आधार पर वाहन बीमा प्रीमियमों को बढ़ा दिया है। हालांकि, बीमाकर्ताओं को वर्तमान बीमा पॉलिसियों को निरस्त करने और नयी प्रीमियम दरों को लागू करने के लिए नयी पॉलिसियां जारी करने की अनुमति नहीं है। प्रीमियम की दरों की सूची बीमाकर्ताओं के ऐसे प्रत्येक हामीदारी करने वाले कार्यालय में प्रमुखता से दर्शाई जाएगी जहां से वह जनता द्वारा देखी जा सके।

बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा बढ़ा कर ४९% की गई

बीमा क्षेत्र के लिए वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पुनरीक्षित और अधिक उदारीकृत कर दी गई है। १ अप्रैल २०१५ को भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को बढ़ा कर ४९% करने के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। इसके अतिरिक्त "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९९९ (१९९९ का ४१) के अधीन नियुक्त अन्य बीमा मध्यवर्तियों" को "बीमा" की परिभाषा के भीतर शामिल कर लिया गया है।

विदेशी मुद्रा

मई, २०१५ माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	१ वर्ष	२ वर्ष	३ वर्ष	४ वर्ष	५ वर्ष
अमरीकी डालर	०.४६६०	०.८२५	१.१३३	१.३८१	१.५८९

	٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
जीबीपी	٠.٦٨٩٤٠	٠.٩٩٤٧.	١.٢١٤٠	١.٣٨٧٨	١.٥٢٦٨
यूरो	٠.٠٦٩٠٠	٠.٠٨٥	٠.١٥٠	٠.٢١٠	٠.٢٨٦
जापानी येन	٠.١٥٦٣٠	٠.١٦٤	٠.١٧٩	٠.٢١٤	٠.٢٦٣
कनाडाई डालर	١.٠٢٠٠٠	١.٠٧٤	١.١٨٠	١.٣٠٣	١.٤٣٨
आस्ट्रेलियाई डालर	٢.١٠٤٠٠	٢.١٢٣	٢.٢١٢	٢.٤٣٠	٢.٥٥٠
स्विस फ्रैंक	-٠.٦٨٠٠٠	٠.٥٩٠	-٠.٤٩٠	-٠.٣٦٠	-٠.٢٣٠
डैनिश क्रोन	٠.٠٥٨٠٠	٠.١٤٢٠	٠.٢٤١٠	٠.٣٤٦٠	٠.٤٦٧٠
न्यूजीलैंड डालर	٣.٥٦٧٥٠	٣.٥٠٠	٣.٥٦٠	٣.٦٠٨	٣.٦٧٠
स्वीडिश क्रोन	-٠.١٦٧٠٠	-٠.٠٦٠	٠.١٠١	٠.٢٦٧	٠.٤٤٢
सिंगापुर डालर	١.٠٩٠٠٠	١.٣٣٠	١.٥٧٠	١.٧٨٥	١.٩٦٠

हांगकांग डालर	٠.٥٣٠٠٠	٠.٨٣٠	١.١٣٠	١.٣٦٠	١.٥٢٠
म्यामार	٣.٦٢٠٠٠	٣.٦١٠	٣.٦٥٠	٣.٧٢٠	٣.٧٨٠

स्रोत : www.fedai.org.in.

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	٢٤ अप्रैल, ٢٠١٥ के दिन	٢٤ अप्रैर्ल, ٢٠١٥` के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	١	٢
कुल प्रारक्षित निधियां	٢١, ٨١٠.٢	٣٤٤,,٦٠٥.٦
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	٢٠, ٢٧٧.٠	٣٢٠,,٣٦٤.٠
ख) सोना	١, ١٩١, ٦	١٩, ٠٣٨. ٠
ग) विशेष आहरण अधिकार	٢٥٩,٣	٤, ٠٠٥.٤

घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	८२.२	१, २९८.२

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	विश्व बैंक	नव-गठित ( ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नवोन्मेषी वित्तीयन मॉडलों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराना और नव-गठित पारिस्थितिकी प्रणाली में ंतरों को मिटाना।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	विश्व बैंक	ऊर्जा दक्षता निवेशों के बढ़े स्तर को बढ़ावा देकर भारत में ऊर्जा दक्षता (में सहायक बनना। ें
येस बैंक	पेटीएम	उसके प्रयोक्ताओं को उनके पेटीएम बटुए में नकदी बढ़ाने हेतु सम्पूर्ण भारत में कई एक बैंकों में उनके बैंक खातों के जरिये उनकी धनराशि को ऑनलाइन अंतरित करके सरल मार्ग उपलब्ध कराना।
बंधन फाइनैंसियल सर्विसेज प्रा. लि, (BFSPL)	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	ऋण मंजूर करते समय महिला उधारकर्ताओं औ उनके साथ ही उनके / उनकी पतियों / पत्नियों को बीमित करना।

आईसीआईसीआई बैंक	टेक महिन्द्रा	ग्राहकों को टैप एन-पे कार्ड की सहायता से नकदी का उपयोग किए बिना काउंटर पर भुगतान करने में समर्थ बनाना।
आईसीआईसीआई बैंक	बेंगलूर मेट्रो रेल निगम	यात्रियों को आईसीआईसीआई बैंक के यूनीफेअर बेंगलूर मेट्रो कार्ड के जरिये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लाभ प्रदान करना।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	स्टार यूनियन डाई-इची	मकान मालिक वरिष्ठ नागरिकों में से संभाव्य ग्राहकों को एसयूडी की लाइफ प्रतिगामी बंधक ऋण समर्थित वार्षिकी योजना प्रदान करना।

बासेल-III पूंजी विनियमन (जारी)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए हम निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं :

विनियामक उद्देश्यों के लिए सामान्य शेयरों (चुकता इक्विटी पूंजी) के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड - भारतीय बैंक

१. सभी समान्य शेयरों को आदर्श रूप में मताधिकार वाले शेयर होना चाहिए। हालांकि, बहुत कम मामलों में, जहां बैंकों के लिए सामान्य इक्विटी टियर १ पूंजी के अंग के रूप में गैर-मताधिकार वाले शेयर जारी करना जरूरी हो जाता है, उन्हें आवश्यक रूप से मताधिकार के अभाव को छोड़कर जारीकर्ता बैंक के मताधिकार वाले शेयरों के जैसा ही होना चाहिए। मताधिकार पर सीमा अलग-अलग बैंकों को अभिशासित करने वाले सम्बन्धित कानूनों (अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, १९८० / १९८०;

भारतीय स्टेट बैंक के मामले में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, १९५५; भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, १९५९; निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ आदि के आधार पर लागू होगी।

२. बैंक के परिसमापन में सर्वाधिक गौण दावे का निरूपण करता है।

३. अवशिष्ट आस्तियों पर ऐसे दावे का पात्र होता है जो परिसमापन में सभी प्रवर दावों का भुगतान कर दिए जाने के बाद चुकता पूंजी में उसके अंश से समानुपातिक होता है (अर्थात् इसमें असीमित और परिवर्ती दावे, न कि नियत या सीमित दावे का समावेश होता है)।

४. मूलधन शाश्वत होता है और वह (विवेकपूर्ण पुनर्खरीदियों / वापसी खरीदियों अथवा पूंजी को ऐसी विवेकपूर्ण रीति से जो सम्बन्धित कानून और उसके साथ ही साथ इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हो के अधीन अनुमेय हो, प्रभावी रूप से घटाने के अन्य साधनों को छोड़कर) परिसमापन के बाहर जा कर कभी नहीं चुकाया जाता।

५. बैंक निर्गम के समय यह अपेक्षा निर्मित करने के लिए कुछ भी नहीं करता कि लिखत को वापस खरीद लिया जाएगा, मोचित या निरस्त किया जाएगा, न ही कानूनी या संविदात्मक शर्तों में ऐसी विशेषता की व्यवस्था होती है जिससे ऐसी अपेक्षा की जा सके।

६. वितरणों को वितरणीय मदों में से चुकाया जाता है। वितरणों का स्तर किसी प्रकार से निर्गम के समय प्रदत्त रकम से जुड़ा या सम्बद्ध नहीं होता और वह किसी संविदात्मक सीमा (इंस स्तर को छोड़कर कि बैंक उन वितरणों का भुगतान करने में असमर्थ है जो वितरणीय मदों के स्तर से अधिक हैं) के अधीन नहीं होता। जहां तक वितरणीय मदों का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान केवल वर्तमान वर्ष के लाभों में से ही किया जाएगा।

७. ऐसी परिस्थितियां नहीं आतीं जिनमें वितरण अनिवार्य हों। अतएव गैर-अदायगी चूक की कोई घटना नहीं होती।

८. वितरणों का भुगतान केवल सभी कानूनी एवं संविदात्मक अनिवार्यताओं को पूरा कर लेने और अधिक प्रवर पूंजीगत लिखतों से सम्बन्धित भुगतानों को कर दिए जाने के बाद ही किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें उच्चतम गुणवत्ता वाली जारी पूंजी के रूप में वर्गीकृत अन्य तत्वों से सम्बन्धित कोई अधिमानी वितरण नहीं होता।

९. वह चुकता पूंजी है जो किसी भी हानि, वह जब कभी हो, में पहला और सानुपातिक रूप से

अधिक अंश वहन करती है। उच्चतम गुणवत्ता वाली पूंजी में प्रत्येक लिखत हानियों को कार्यशील संस्था के आधार पर सानुपातिक रूप से अन्य सभी के साथ समरूप अवशोषित करता है।

१०. तुलनपत्र की शोधक्षमता निर्धारित करने के लिए चुकता रकम इक्विटी पूंजी (अर्थात् देयता के रूप में अभिज्ञात) के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

११. चुकता रकम सम्बन्धित लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

१२. यह सीधे ही जारी और चुकता की जाती है और ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक ने लिखतों की खरीद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधीयन किया हो। बैंकों को स्वयं अपने शेयरों के समक्ष ऋण भी नहीं देना चाहिए।

१३. चुकता रकम न तो प्रतिभूत होती है, न ही जारीकर्ता या या सम्बन्धित कम्पनी / संस्था की गारंटी द्वारा रक्षित होती है, न ही किसी अन्य ऐसी व्यवस्था के अधीन होती है जो कानूनी या आर्थिक रूप से दावे की प्रवरता बढ़ाती हो।

१४. चुकता पूंजी केवल जारीकर्ता बैंक के स्वामियों के या तो सीधे स्वामियों द्वारा दिए गए या प्रयोज्य कानून द्वारा अनुमत होने पर निदेशक मंडल द्वारा दिए गए या स्वामियों द्वारा विहित रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए अनुमोदन से ही जारी की जाती है।

१५. चुकता पूंजी बैंक के तुलनपत्र में सुस्पष्ट रूप से और अलग से प्रकट की जाती है।

(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बासेल समिति

बासेल समिति जी १० वाले प्रत्येक देश से एक सदस्य के समावेश वाली बैंक पर्यवेक्षकों की एक

समिति है। उक्त समिति विशिष्ट पर्यवेक्षी समस्याओं से निपटने के सम्बन्ध में चर्चा का एक मंच है। यह विश्वव्यापी स्तर पर बैंकों के कार्यकलापों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के ध्येय के साथ बैंकों की विदेशी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्राधिकारियों के बीच पर्यवेक्षी उत्तरदायित्वों में सहभागिता में समन्वय लाती है।

शब्दावली

आपाती साख पत्र

किसी बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से जारी भुगतान की ऐसी गारंटी जिसका उपयोग ग्राहक के किसी अन्य पक्ष के साथ संविदात्मक प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल हो जाने पर अंतिम भुगतान के रूप में किया जाता है। आपाती साख पत्र व्यावसायिक लेनदेनों में सद्भाव के रूप में सृजित किए जाते हैं और वे क्रेता की ऋण गुणवत्ता और चुकौती सामर्थ्य के प्रमाण होते हैं। आपाती साख पत्र

जारी करने वाला बैंक साख पत्र की मांग करने वाले पक्ष की ऋण गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु संक्षिप्त हामीदारी उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा, उसके बाद साख पत्र के लिए अनुरोध करने वाले पक्ष (विशिष्ट रूप से कोई विक्रेता या लेनदार) के बैंक को सूचना भेजेगा। आपाती साख पत्र मानक संविदात्मक दिशानिर्देशों के माध्यम से भुगतान किए जाने हेतु पर्याप्त समय देते हुए विशिष्ट रूप से लगभग एक वर्ष के लिए प्रचलन में होगा। आपाती साखपत्रों का उपयोग प्राय: किसी अन्य देश से माल की खरीद जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेनों के लिए किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, २०१५ माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थल
१	प्रमाणित ऋण अधिकारियों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	०५ से ०९ मई, २०१५ ०४ से ०८ मई, २०१५ ०५ से ०९ मई, २०१५	मुंबई कोलकाता त्रिवेन्द्रम
२	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन अधिकारियों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	२५ से २९ मई, २०१५ २५ से २९ मई, २०१५ २५ से २९ मई, २०१५	मुंबई चेन्नै दिल्ली
३	प्रमाणित खज़ाना व्यापारियों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	२२ से २४ मई, २०१५	मुंबई
३	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक कार्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	२५ से २९ मई, २०१५	राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान, पुणे

संस्थान समाचार

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने हाल ही में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कारबार संपर्कियों / कारबार सुशाधकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। संस्थान ने "इनक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजिनेस करेस्पॉडेंट - ए टूल फॉर पीएमजेडीवाई" शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

सम्मेलन के लिए आलेखों (दस्तावेज़ों) की मांग

संस्थान एशिया-प्रशांत अफ्रीकी बैंकिंग संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन २०१५ का आयोजन बैंकिंग में नयी रूपावली (New paradigms in Banking) विषय-वस्तु पर करेगा। सम्मेलन की उक्त

विषय-वस्तु से सम्बन्धित किसी भी विषय पर आलेख आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल ३१ दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा। प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल ३० जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

मई / जून २०१५ परीक्षाओं से अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस (DB&F) में डिप्लोमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों के कारण अद्यतन कर दिया गया है जो बैंकिंग एवं फाइनैंस के क्षेत्र में हुए हैं। जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस में डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम मई / जून और उसके बाद वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। अद्यतन पाठ्य-समग्री (अध्ययन सामग्री) जनवरी, २०१५ के अंत तक बाज़ार में उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए आचरण संहिता

संस्थान ने हाल ही में आरंभ किए गए मिश्रित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आचरण संहिता जारी करना आरंभ कर दिया है और उन्हें उसका पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

सीएआईआईबी सम्बद्ध एमबीए

इंदिरा घांधी राष्ट्रीय मुक्य विश्वविद्यालय ने एमबीए (बैंकिं एवं वित्त) पाठ्यक्रम के आगामी बैच के लिए नामांकन की घोषणा की है। के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD)

निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम संस्थान के वर्तमान सदस्यों के लिए उपलब्ध है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : ६९२२८/१९९८ के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -२९८ २०१३-१५
* प्रत्येक महीने की २८वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की २८ से ३० तक

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास ३० जून, २०१५ से पहले पंजीकृत करवा लें। जुलाई, २०१५ से संस्थान विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियां उन सदस्यों को भेजना बंद कर देगा, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी नहीं पंजीकृत करवाए हैं। केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी। वर्तमान में आईआईबीएफ विज़न डाक्यूमेंट मुफ्त डाउनलोड करने / देखने हेतु संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

V.८०
V.६०
V.४०

७.२०
७.००
६.८०
६.६०
६.४०
६.२०
६.००

०४/०४/१५ १०/०४/१५ ११/०४/१५ १६/०४/१५ २०/०४/१५ २२/०४/१५ २३/०४/१५
२५/०४/१५
२८/०४/१५ ३०/०४/१५

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अप्रैल, २०१५

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

११०.००
१००.००
९०.००
८०.००
७०.००
६०.००
५०.००

०६/०४/१५ ०७/०४/१५ ०९/०४/१५ १५/०४/१५ २१/०४/१५ २४/०४/१५ २७/०४/१४
२९/०४/१५
३०/०४/१५

अमरीकी डालर यूरो १०० जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

२९५००
२९०००
२८५००
२८०००
२७५००

२७०००
२६५००
२६०००

०१/०४/१५ ०७/०४/१५ १०/०४/१५ १३/०४/१५ १७/०४/१५ २१/०४/१५ २२/०४/१५ २४/१४/१५
२७/०४/१५
२८/०४/१५ ३०/०४/१५

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , ६- बी मोहता भवन, ३री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - ४०० ०१८ में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर - १, ३री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७० से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर - १, ३री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - ४०० ०७०
टेलीफोन : ९१-२२ २५०३ ९६०४ / ९६०७ फैक्स : ९१-२२-२५०३ ७३३३
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom0 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मई, २०१५